

रब्बी विपणन मौसम 2012-13 के अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति की तैयारी के क्रम में जिला में गेहूँ उपज की संभावना के अनुरूप जिला स्तरीय टस्क फोर्स द्वारा 17.04.2012 को अनुमोदित न्यूनतम लक्ष्य एवं कार्ययोजना (Action Plan)

उपस्थिति- यथा पंजी।

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1902 दिनांक 27.03.2012 द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2012-13 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की तैयारी के क्रम में जिला में गेहूँ उपज की संभावना के अनुरूप न्यूनतम लक्ष्य एवं कार्य योजना उपलब्ध कराने के प्रदत्त निदेश के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक 395 दिनांक 09.04.2012 द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2012-13 में गेहूँ फसल के प्रखंडवार अंतिम आच्छादन के आधार पर अनुमानित प्रतिवेदित उत्पादन के आधार पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 233 दिनांक 17.04.12 द्वारा कुल 10430 MT गेहूँ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतएव रब्बी विपणन मौसम 2012-13 के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति का अनुमानित लक्ष्य 10430 MT निर्धारित किया जाता है। विदित है कि अभी तक राज्य सरकार से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुयी है, अतः लक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त लक्ष्य का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।
2. निदेश दिया गया कि गेहूँ की अधिप्राप्ति का कार्य जिले में मात्र पैक्स के माध्यम से ही किया जाना है एवं उक्त कार्य के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम का प्रत्येक प्रखंड में क्रय केन्द्र क्रियाशील रहेंगे। वैसे पंचायतों के पैक्स जो किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं हैं वैसे पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ क्रय करेंगे। इसी क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिला में कुल 101 पैक्स अधिप्राप्ति हेतु सक्षम हैं।
3. गेहूँ अधिप्राप्ति में कार्य कर रहे अभिकरण यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि अधिप्राप्ति बिचौलियों या व्यापारियों से न होकर सिर्फ किसानों से हो, अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा। अधिप्राप्ति कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी

उक्त कार्य को निर्वाचन की समय सीमा की तर्ज पर पूर्ण निष्ठा, लगन एवं तत्परता से करेंगे। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी की यह जवाबदेही निर्धारित की जाती है कि अधिप्राप्ति कार्य विधिवत हो।

4. इस वर्ष भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए गेहूँ का न्यूनतम सर्म्थन मुल्य 1285/-रुपये प्रति वर्कीटल निर्धारित किया गया है तथा गेहूँ की अधिप्राप्ति कार्य दिनांक 01.05.12 से प्रारंभ किया जाना है।

5. रब्बी विपणन मौसम 2012-13 के लिए भारतीय गेहूँ की सभी किस्मों की खरीद के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियाँ होगी जो निम्न है :-

(क) गेहूँ में ट्राइटिकम वल्गर, टी0 कॉम्पैक्टम, टी0 स्पैरिओ कोकोम, टी0 ड्यूरम, टी0 एस्टीवियम और टी0 डाइकोकोम के परिपक्व सूखे हुए दाने हो।

(ख) इनका आकार, बनावट, रंग और चमक प्राकृतिक हो।

(ग) मीठा, साफ, पुष्ट, बदबू, रंगहीनता, विषाक्त घास के बीजों सहित हानिकर तत्वों के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त हो।

(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।

(ङ) इसमें किसी भी रूप में अर्जिमोन मैविसकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरो) रंगने वाले पदार्थ तथा खराब, हानिकर और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/नियमों (खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम) के अनुरूप हो।

6. गेहूँ की उचित औसत गुणक्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिकतम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची अधोलिखित अंकित है :-

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न	क्षतिग्रस्त दाने	थोड़े क्षतिग्रस्त दाने	सिकुड़े और टोटे दाने
	%	%	%	%
0.75	2.00	2.00	6.00	7.00

टिप्पणी:-

(1) 12% से अधिक और 14% तक नमी की पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी।

14% से अधिक नमी वाले खाद्यान्न को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(2) विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.4%

से अधिक नहीं होंगे जिसमें धतुरा और अकरा (विसिया प्रजाति) वनज के अनुसार

क्रमशः 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।

पैक्स द्वारा गेहूँ क्रय कर अपने निर्धारित गोदाम में रखेंगे। पैक्स द्वारा क्रय किये गये गेहूँ की जाँच हेतु प्रखंडवार निम्नवत पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त की जाती है:-

क्र०	प्रखंड का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम	मोबाईल नं०
1	सदर मुंगेर	अंचलाधिकारी, सदर मुंगेर	9431221866
2	जमालपुर	प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जमालपुर	9934599112
3	बरियारपुर	प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बरियारपुर	9835650880
4	धरहरा	अंचलाधिकारी, धरहरा	9801696802
5	खड़गपुर/टेटियावम्बर	भूमि सुधार उप समाहर्ता खड़गपुर	9801530078
6	असरगंज	प्रखंड कृषि पदाधिकारी, असरगंज	9939660092
7	तारापुर	प्रखंड कृषि पदाधिकारी, तारापुर	9708058104
8	संग्रामपुर	प्रखंड कृषि पदाधिकारी, संग्रामपुर	7739143486

पैक्स प्रभारी द्वारा गेहूँ क्रय किये जाने के बाद तुरंत इयकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को देंगे। सूचना प्राप्ति के पश्चात् उपरोक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पैक्स गोदाम पर जाकर किसानों से प्राप्त गेहूँ का सत्यापन करेंगे तथा पैक्स द्वारा संधारित पंजी में सत्यापित कर हस्ताक्षर करेंगे।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा कुल 101 पैक्सों की सूची समर्पित की गई है जिसमें सभी पैक्स गेहूँ उत्पादित क्षेत्र है, जिसे गेहूँ क्रय हेतु टास्क फोर्स से अनुमोदित किया गया है। (अबुलग्नक-1 संलग्न)

विभागीय पत्रांक 1903 दिनांक 27.03.2012 द्वारा वर्तमान रबी विपणन मौसम 2012-13 के अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति के कम में भंडारण हेतु गोदामों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। राज्य के अधिप्राप्ति अभिकरण के पास भंडारण क्षमता काफी कम है, जिससे गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य प्रभावित होने की संभावना है। इस निमित्त गेहूँ के भंडारण हेतु अनमंडल/प्रखंड स्तर पर बेस गोदाम की व्यवस्था की गई है जो निम्नवत है:-

क्र०	प्रखंड का नाम	गोदाम का नाम	सम्बद्ध प्रखंड का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम	मोबाईल नं०
1.	सदर, मुंगेर	सदर प्रखंड स्थित विस्कोमान का गोदाम	सदर मुंगेर/ जमालपुर/ बरियारपुर	1 अंचलाधिकारी, सदर 2 श्री सुधांशु कुमार निराला, SMS सदर मुंगेर	9431221866 9570846161
2.	धरहरा	धरहरा स्थित गोदाम	धरहरा	1. कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक, धरहरा 2. श्री गौतम कुमार sms धरहरा	8083118157
3.	खड़गपुर	खड़गपुर अनुमंडल कार्यालय स्थित गोदाम	खड़गपुर/टेटे यावम्बर	1. प्रखंड कृषि पदाधिकारी, खड़गपुर 2. श्री संजय कुमार साह, sms खड़गपुर	9934623480 9471607846
4.	तारापुर	तारापुर अनुमंडल कार्यालय स्थित गोदाम	तारापुर	1. कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक, तारापुर 2. डॉ० धमेन्द्र शर्मा, sms तारापुर	7250832520
5.	असरगंज	असरगंज प्रखंड स्थित निजी गोदाम जिनके साथ जिला प्रबन्धक, रा०खा०नि० अनुबन्ध करेंगे।	असरगंज	1. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, असरगंज 2. श्री राकेश झा, sms असरगंज	7549710595
6.	संग्रामपुर	संग्रामपुर प्रखंड स्थित निजी गोदाम जिनके साथ जिला प्रबन्धक, रा०खा०नि० अनुबन्ध करेंगे।	संग्रामपुर	1. अंचलाधिकारी, संग्रामपुर 2. श्री दयानंद चौधरी, sms संग्रामपुर	9431947525 8002560197

आवश्यकतानुसार यह बेस गोदाम SFC के क्रय केन्द्र के रूप में भी कार्य करेंगे।

भुगतान की व्यवस्था:-

जिला प्रबन्धक राज्य खाद्य निगम पैक्सों को गेहूँ अधिप्राप्ति का भुगतान हेतु सहाकारिता बैंक में खाता खोलना सुनिश्चित करेंगे। इसी खाते से पैक्स को एडभाईस के माध्यम से एवं किसानों को प्रखंडवार निर्गत चेक बुक के माध्यम से भुगतान कराया जाए। प्रखंडवार चेक बुक का लेखा जोखा जिला सहाकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबन्धक राज्य खाद्य निगम अपने-अपने स्तर से संधारित करना

सुनिश्चित करेंगे और उसका मिलान एवं जांच पाक्षिक रूप से करेंगे। पैक्स द्वारा कय किये गये धान का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किसानों को कय के तुरंत बाद करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्धन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण:-

जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता, मुंगेर को प्रभारी पदाधिकारी, के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। जिनका मोबाईल नं० 9473191392 है।

अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की वे प्रतिदिन अपने अनुमंडलान्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन Ms-Excel, Kruti dev 010 font में जिला पदाधिकारी को भेजेगें।

प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण हेतु निम्न वरीय उप समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी, होंगे:-

क्र०	प्रखंड का नाम	प्रभारी पदाधिकारी का नाम	मोबाईल नं०
1.	सदर मुंगेर	श्री राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर	9430297278
2.	जमालपुर	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर	9430667752
3.	बरियारपुर	श्री राजेश कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर	9473129273
4.	धरहरा	श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुंगेर	9939678424
5.	खड़गपुर	मो० सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर	9473191394
6.	टेटियावम्बर	श्री परमानंद साह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, खड़गपुर	9801530078
7.	असरमंज	श्री आलोक कुमार=2, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (मध्यान भोजन) मुंगेर	9835666002
8.	तारापुर	श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर	9473191395
9.	संग्रामपुर	श्री अजय कुमार तिवारी, वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर	9431448366

